भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2837
दिनांक 17 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत

2837. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चन्द्र शेखर साहू:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान साइबर अपराध पोर्टल पर महिलाओं द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ महाराष्ट्र, ओडिशा और अन्य राज्यों में दोषी ठहराए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान महिला हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता प्राप्त महिलाओं की राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी हिंसा से प्रभावित महिलाओं ने विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितनी महिलाओं ने निम्हान्स के माध्यम से मनो-सामाजिक परामर्श के लिए महिला हेल्पलाइन-181 के माध्यम से संपर्क किया है;
(घ) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को तेजी से ट्रैक करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): 'पुलिस' और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की सातवें अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय हैं। राज्य/यूटी मुख्य रूप से अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलएएस) के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/यूटी की पहल में सहयोग करती है।

सरकार ने निम्नलिखित वेबसाइट -www.cybercrime.gov.in के साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल(एनसीआरपी) लॉन्च किया है, ताकि सभी प्रकार के साइबर अपराधों विशेष ध्यान रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर रिपोर्ट करने में सक्षम हो सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने के लिए संबंधित राज्य/यूटी की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को स्वचालित रूप से रूट किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्टिंग के लिए एनसीआरपी डैशबोर्ड के माध्यम से महिलाओं और बच्चों (महाराष्ट्र और ओडिशा सहित) के खिलाफ साइबर अपराध की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार शिकायतें **अनुलग्नक-I** में हैं।

(ख) और (ग) : अंब्रेला स्कीम मिशन शक्ति की उप स्कीम संबल के तहत महिला हेल्पलाइन डबल्यूएचएल घटक सार्वजनिक और निजी दोनो स्थानों पर महिलाओ को उपयुक्त प्राधिकारियों जैसे कि पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवा

प्राधिकारियों आदि से जोड़कर टेलीफोनिक शॉर्टकोड 181 के माध्यम से 24 घंटे तात्कालिक और गैर तात्कालिक सहायता प्रदान करना है। महिला हेल्पलाइन महिलाओ को पूरे देश में कार्यशील वेलफेयर स्कीमो कार्यकर्मों की जानकारी देने के साथ ही तनाव से पीड़ित महिलाओ को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। वर्तमान में, महिला हेल्पलाइन पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी को छोड़कर 34 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत है ।राज्यों/संघ शासित क्षेत्र वार महिला हेल्पलाइन द्वारा हैंडल किए गए कॉल अनुलग्नक 2 में दिए गए है ।

इसके अलावा सरकार ने राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को महिलाओ और लड़कियों द्वारा महिला हेल्पलाइन 181 पर मानसिक परामर्श लेने से संबंधित और गंभीर व्यवहार प्रदर्शित करने वाली कॉल को मनो सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निम्हांस को डायवर्ट करने की सलाह दी है ।ऐसी कॉल को महिला हेल्पलाइन से निम्हानस को डायवर्ट किया जा सकता है न कि निम्हांस्स से महिला हेल्पलाइन को।

(घ) और (ड.) : व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें अलर्ट/ सलाह जारी करना; कानून प्रवर्तन कर्मियों/अभियोजन/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण; साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार करना आदि शामिल है। सरकार ने एक व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एलईएएस के लिए एक रूपरेखा और इको सिस्टम प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4 सी) की स्थापना की है। भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साइबर फॉरेंसिक-के साथ-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, जूनियर साइबर सलाहकारों, एलइए के कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और काम पर रखने के लिए उनकी क्षमता-निर्माण के लिए प्रदान की है।

*****

अनुलग्नक-I

'साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें' के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री गिरीश भालचंद्र बापट, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनसीआरपी में दर्ज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के संबंध में शिकायतों (गुमनाम सहित) का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20	17	21
2	आंध्र प्रदेश	684	788	1029
3	अरुणाचल प्रदेश	9	21	23
4	असम	177	260	320
5	बिहार	1159	1618	1955
6	चंडीगढ़	107	111	184
7	छत्तीसगढ़	231	286	347
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15	20	23
9	दिल्ली	2327	2309	3283
10	गोवा	52	60	69
11	गुजरात	917	857	1037
12	हरियाणा	717	788	1134
13	हिमाचल प्रदेश	155	157	210
14	जम्मू और कश्मीर	193	285	347
15	झारखंड	468	518	566
16	कर्नाटक	1731	1921	2482
17	केरल	327	621	453
18	लद्दाख	7	9	3
19	लक्षद्वीप	1	3	7
20	मध्य प्रदेश	825	934	1095
21	महाराष्ट्र	3305	3025	3304
22	मणिपुर	10	42	27
23	मेघालय	10	21	31
24	मिजोरम	7	9	14
25	नागालैंड	14	14	23
26	ओडिशा	310	512	620
27	पुद्दुचेरी	31	75	74
28	पंजाब	542	590	1061
29	राजस्थान	812	926	1173
30	सिक्किम	10	501	17
31	तमिलनाडु	1848	3541	5635
32	तेलंगाना	1069	1898	2993

33	त्रिपुरा	49	47	73
34	उत्तराखंड	301	288	351
35	उत्तर प्रदेश	2218	2515	3825
36	पश्चिम बंगाल	1529	26461	28501
	कुल	**22187**	**52048**	**62310**

अनुलग्नक-II

'साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें' के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री गिरीश भालचंद्र बापट, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) के माध्यम से पंजीकृत/प्राप्त और सहायता प्राप्त कॉलों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
		पंजीकृत/प्राप्त कॉलें	महिलाओं की सहायता की	पंजीकृत/ प्राप्त कॉलें	महिलाओं की सहायता की	पंजीकृत/प्राप्त कॉलें	महिलाओं की सहायता की
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	307	39	391	42	454	39
2	आंध्र प्रदेश	239444	2349	125440	2035	93421	1510
3	अरुणाचल प्रदेश	1021	164	471	280	354	238
4	असम	61786	1118	68543	1208	76658	1715
5	बिहार	34974	417	32218	415	78268	731
6	चंडीगढ़	8958	8958	10047	10047	11021	11021
7	छत्तीसगढ़	91437	3027	97960	3647	84862	3378
8	दादरा और नागरा हवेली और दमन और दीव	77	77	73	73	55	55
9	दिल्ली	568693	541261	536282	510154	542618	509185
10	गोवा	7434	5026	16254	12365	15476	11952
11	गुजरात	157378	157378	147030	147030	164952	164952
12	हरियाणा	12022	2714	12503	3492	15847	6530
13	हिमाचल प्रदेश	1838	1838	2120	2120	4235	4235
14	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	981	981	2422	2422	1563	1563
15	झारखंड	0	0	13990	2644	43023	11214
16	कर्नाटक	240251	6159	54469	9095	61093	10790
17	केरल	18853	18853	25591	25591	41497	41497
19	मध्य प्रदेश	1336	1096	72783	15029	72426	17989
20	महाराष्ट्र	1168	1168	8741	8741	5742	5742
21	मणिपुर	4529	125	5452	172	4824	131
22	मेघालय	3136	362	3171	736	1977	577
23	मिजोरम	1624	1624	2677	2677	2645	2645
24	नागालैंड	104	79	601	112	1925	996
25	ओडिशा	20332	8442	25342	8020	23367	6074
26	पुडुचेरी*	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	0	0	0	0	33929	33929
28	राजस्थान	16725	16725	5707	5707	8656	8656
29	सिक्किम	8604	53	3459	85	1582	67
30	तमिलनाडु	5828	121420	5787	93659	119001	15046
31	तेलंगाना	230000	4842	246948	10635	262041	13319
32	त्रिपुरा	0	0	83	80	264	255
33	उत्तर प्रदेश	123206	123206	16992	16992	51586	51586
34	उत्तराखंड	1105	1105	1396	1396	1247	1246
	कुल	**1863151**	**1030606**	**1544943**	**896701**	**1826609**	**938863**

******